



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 वैशाख 1942 (श०)
(सं० पटना 279) पटना, बुधवार, 6 मई 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
6 मई 2020

एस० ओ० 122 दिनांक 6 मई 2020-- बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, बिहार राज्यपाल, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 212, दिनांक 08.05.2019, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 598 दिनांक 08.05.2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) दूसरे अनुच्छेद में निम्न परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु उक्त व्यक्ति 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए बिहार माल और सेवा कर नियमावली 2017 के तहत प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में एक ब्यौरा, जिसमें स्व-आकलित कर के भुगतान का विवरण होगा, जुलाई 2020 के 7 वें दिन तक प्रस्तुत करेंगे।” ;

(ii) तृतीय अनुच्छेद में निम्न परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु उक्त व्यक्ति 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की विवरणी बिहार माल और सेवा कर नियमावली 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-4 में जुलाई 2020 के 15 वें दिन तक प्रस्तुत करेंगे।”।

[(सं०सं० बिक्री/कर-जीएसटी-विविध/21/2017 (खंड-8)796)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

6 मई 2020

एस० ओ० 122 दिनांक 6 मई 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-8)796)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 6th May 2020

S.O. 122 Dated 6th May 2020-- In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor of Bihar hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 212 dated the 08.05.2019, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 598, dated the 08.05.2019, namely:—

In the said notification, - (i) in the second paragraph, the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided that the said persons shall furnish a statement, containing the details of payment of self-assessed tax in **FORM GST CMP-08** of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, for the quarter ending 31st March, 2020, till the 7th day of July, 2020.”;

(ii) in the third paragraph, the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided that the said persons shall furnish the return in **FORM GSTR-4** of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, for the financial year ending 31st March, 2020, till the 15th day of July, 2020.”.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-8)796)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary,

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 279-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>